

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार द्विवेदी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....अगस्त, 2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अंतर्गत रू० 27,84,520/- (सताईस लाख चौरासी हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 17/बी०एस०जी०-07/2014-253/वि० दिनांक-11.03.2014 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अन्तर्गत रू० 41,56,000/- (एकतालीस लाख छप्पन हजार रुपये) मात्र का बजट उपबंध किया गया है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 17/बी०एस०जी०-109/2014-687/वि० दिनांक-24.07.2014 के आलोक में व्यय हेतु रू० 27,84,520/- (सताईस लाख चौरासी हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	आय घ्ययक अनुमान 2014-15	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	01 01 वेतन	15,34,600	5,06,418	10,28,182	15,34,600
2	01 03 जीवनयापन भत्ता	15,65,700	5,16,681	10,49,019	15,65,700
3	01 04 मकान किराया भत्ता	81,500	26,895	54,605	81,500
4	01 05 परिवहन भत्ता	60,000	19,800	40,200	60,000
5	01 06 चिकित्सा भत्ता	27,000	8,910	18,090	27,000
6	01 07 अन्य भत्ता	7,200	2,376	4,824	7,200
योग - वेतन एवं भत्ते		32,76,000	10,81,080	21,94,920	32,76,000
7	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25,000	8,250	16,750	25,000
8	11 01 यात्रा भत्ता	5,000	1,650	3,350	5,000
9	13 01 कार्यालय व्यय	4,50,000	1,48,500	3,01,500	4,50,000
10	13 03 दूरभाष	60,000	19,800	40,200	60,000
11	13 04 विद्युत प्रभार	2,15,000	70,950	1,44,050	2,15,000
12	13 06 वर्दी पोशाक	25,000	8,250	16,750	25,000
13	21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	1,00,000	33,000	67,000	1,00,000
योग - 0001-राज्य अतिथि गृह		41,56,000	13,71,480	27,84,520	41,56,000

3. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह विपत्र कोड - एन 2070001150001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विकलनीय होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1009/2014.....पटना-15, दिनांक-.....अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1009/2014.....पटना-15, दिनांक-.....अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1009/2014.....पटना-15, दिनांक-.....अगस्त, 2014

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/उप सचिव (नयाचार) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/लेखा शाखा/लेखापाल (नयाचार)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/आइ.टी.ओ.मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

11/8/14